

- (ख) कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए संगत विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की स्वीकृति।
- (ग) पाठ्यचर्चा का निर्माण (पाठ्यक्रम अनुसार तथा इकाई अनुसार) जिसमें मूल्यांकन स्कीम तथा सहायक सेवाएं स्पष्ट की गई हों और यह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित हो।
- (घ) एक निर्धारित प्रारूप में अध्ययन केंद्रों से इस आशय का आश्वासन की अध्ययन केंद्र डी.एल.एड प्रतिमानों का कठोरता से पालन करेगा।
- (ङ) स्व-अधिगम सामग्री का निर्माण (मुद्रित तथा गैर-मुद्रित) जो दूरस्थ शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो।
- (च) स्टाफ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ, जैसे विज्ञाप्ति, रक्कीनिंग, साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र।

#### परिशिष्ट-10

**शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त करने वाला मुक्त और दूर-शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (बी.एड.) डिग्री के लिए मानदण्ड और मानक**

3. शिक्षाशास्त्र में स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है, एक व्यावसायिक पाठ्यचर्चा है जो उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) एवं माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10) तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा (11 से 12) के लिए अध्यापक तैयार करता है।

मुक्त तथा दूर अधिगम रूप में सेवारत अध्यापकों के लिए अभि कार्यक्रमिक शिक्षा-स्नातक कार्यक्रम, जिसे सामान्यतः बी.एड. कहा जाता है, अध्यापक शिक्षा में द्वितीय डिग्री है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक सक्षमता में सुधार लाना है, ऐसे अध्यापक जो बिना कोई औपचारिक माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण के लिए इस व्यवसाय में आ गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यरत अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा अवस्था के लिए तैयार करना है जो अध्यापक के तौर पर भर्ती होने के लिए न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार एनसीटीई की अधिसूचना के अनुकूल है। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के अभिकल्पन, विकास और प्रदान करने (हस्तांतरित करने) के लिए मिश्रित रीति का उपयोग किया जाएगा।

#### 4. संस्थाओं की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र

##### 2.1 संस्थाओं की पात्रता

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थाएं पात्र हैं वे हैं राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई हैं समविश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या समवर्गी संबद्ध विश्वविद्यालय जिनके विशेषज्ञता अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और हैं, और अन्य विषयात्मक-विशिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थाएं अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए इस ओडीएल पद्धति में पात्र नहीं हैं।

##### 2.2 क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र वही होगा जो उनके अधिनियम में परिभाषित है अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उस विश्वविद्यालय / संस्थान के अध्ययन केंद्र भी उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित होंगे।

#### 5. अवधि

इस कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष होगी। तथापि, विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ तथा समाप्ति इस प्रकार विनियमित होगी कि अध्यताओं द्वारा निर्देशित/पर्यवेक्षित शिक्षण अथवा प्रत्यक्ष अध्यापन/संपर्क के लिए अवकाश की दो लम्बी अवधि उपलब्ध हो सके ये अवधियां ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष अध्यापन/निर्देशन के दो ग्रीष्म अवकाश के मध्य भी रखा जा सकता है। यह कार्यक्रम अपनी इच्छानुसार और अपनी गति से किए गए स्वअध्ययन से अतिरिक्त होगा।

#### 4. दाखिला, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क

##### 4.1 प्रवेश

इस बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की मूल इकाई पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि एक अध्ययन केंद्र में एक सत्र में 50 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। अतिरिक्त इकाइयों के लिए अनुरोध एनसीटीई द्वारा इस आधार पर परखा जाएगा कि क्या उस संरक्षण के पास उनके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों तथा संबंधित सहायता सेवाओं के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

##### 4.2 पात्रता

निम्नलिखित वर्गों के अभ्यर्थी बी.एड. (ओडीएल) में प्रवेश पाने के पात्र हैं:

- (i) अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक।

- (ii) प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक।

(iii) वे अभ्यर्थी, जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त नियमित रीति (फेस-टु-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा स्थान—आरक्षण केंद्रीय/राज्य सरकार, जो भी लागू हो, के नियमानुसार होगा।

### 4.3 दाखिला प्रक्रिया

आमर्शियों के चयन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था एक उपयुक्त प्रक्रिया का विकास करेगा।

4.4 फीस

संस्था केवल वही शुल्क लेगा, जो संबंधन निकाय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। लिए गए शुल्क एनसीटाइ के अधिनियम, 2002 के प्रावधानों (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली टयुशन फीस तथा अन्य शुल्क संबंधी अधिनियमों के मार्गदर्शी सिद्धांत) के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित हुए हैं, ज्ञाप्त है। ये संस्थाएं किसी भी रूप में दान, प्रति व्यक्ति शुल्क फोसली विद्यार्थियों से नहीं लेंगी।

## अध्ययन केंद्र के लिए पात्रता

- (क) केवल निम्नलिखित वर्ष की संस्था अध्ययन केंद्र चलाने के योग्य होंगी:

एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे वर्तमान अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो रेग्युलर प्रणाली से वही कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके पास सभी प्रकार की आधारिक तथा स्टाफ एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुकूल है। ये संस्थान हैं, जो पिछले पांच वर्षों से संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे संस्थान, जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाया गया है, उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय/संस्था का हो या किसी अन्य का।

(ख) (i) किसी अध्ययन केंद्र के निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या एक सौ (100) से अधिक नहीं होगी (प्रथम वर्ष के पचास तथा द्वितीय वर्ष के पचास), (ii) अध्ययन केंद्र उसके लिए निर्धारित/दूरस्थ अध्येताओं को केंद्र के पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करेगा; (iii) ओडीएल संस्था (विश्वविद्यालय) का क्षेत्रीय केंद्र भी अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम से कम एक सौ (प्रथम वर्ष के 50 तथा द्वितीय वर्ष के 50) होगी।

(ग) अध्यापक-शिक्षक/पर्यवेक्षक/शैक्षणिक परामर्शदाता, जिन्हें अध्ययन केंद्र के विभिन्न क्रियाकलाप के लिए आमंत्रित किया जाएगा, वे एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार पूर्ण रूप से अहंताप्राप्त होने चाहिए।

(घ) अध्ययन केंद्रों के क्रियाकलाप से संबद्ध सभी अधिकारियों (कार्यकर्ताओं) का समय-समय पर, परंतु वर्ष में एक बार ओडीएल प्रणाली से विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिशा अनुकूलन अवश्य कराया जाएगा।

(ङ) किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश की अतिरिक्त इकाई का अनुरोध पर रा.अ.शि.प. द्वारा अध्ययन केंद्रों में अपेक्षित सुविधाओं तथा संस्थान के क्षेत्रीय आधारिक क्षेत्रों से संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायगा। अतिरिक्त दाखिले के लिए मान्यता मिलाते समय निर्धारित किया विधियों का पालन किया जाएगा।

पाठ्यचर्चा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, तथा मूल्यांकन

## 6.1 पाठ्यचर्या

ओडीएल विविध में बी.एड. पाठ्यचर्चा वही होगी, जो नियमित (फेस-टू-फेस) में बी.एड. की पाठ्यचर्चा है। अतः इस कार्यक्रम की नामावली वही होगी और इसे भी बी.एड. ही कहा जाएगा। तथापि, क्योंकि ओडीएल विधि सेवारत अध्यापकों की आवश्यकता को पूरा करेगी, अतः पाठ्यचर्चा का कार्य संपादन अध्यापन करते समय प्राप्त अध्यापन अनुभवों को व्यवस्थित तथा सरचित करने के लिए होगा। इस कार्यक्रम में अभिकल्पन, विकास तथा कार्यक्रम के हस्तांतरण के लिए सम्मिश्रित अधिगम रूपात्मकता का प्रयोग करेगा।

बी.एड. नियमित के पाठ्य-विवरण को दूरस्थ शिक्षा रीति में रूपांतरित किया जाएगा, जिसमें अध्ययन में क्रेडिट घंटों के अनुसार ब्लॉकों/इकाइयों में पूरे पाठ्यक्रम को बांट दिया जाएगा। संस्था द्वारा तैयार की स्व-अधिगम सामग्री को दूरस्थ शिक्षा परिषद् व्यूरो द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा।

## 6.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

बी.एड. (ओडीएल) कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे अध्यापक तैयार करना है जो अध्यापक के रूप में अपनी संवृत्तिक पद्धति का सतत रूप से आकलन कर सकें और उसमें सुधार ला सकें। इसके लिए उन्हें पद्धति पर विवेचित तिमर्शन करते रहना होगा।

दूसरे, ऐसे अध्यापक तैयार करना है, जो समझ सकें कि अध्यापक विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में सन्निहित है तथा वे अध्यापक जो उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से जुड़े हों या परियुक्त रहें। छात्र-अध्यापकों को जांच-पड़ताल के विभिन्न रूपों तथा उनके विषयों के ज्ञान मीमांसात्मक ढांचों से अवगत कराया जाएगा और इस बात से परिचित कराया जाएगा कि बच्चे सीखते कैसे हैं, ताकि वे ऐसी कार्यनीतियों का विकास कर सकें तथा उनका प्रयोग कर सकें जो माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की विविध और बहुल अवस्थाओं में उनके विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुकूल हैं।

- (क) विश्वविद्यालय या संस्थाएं स्वयं पाद्यचर्चा आधारित श्रव्य-दृश्य संसाधनों का विकास करेंगी या ऐसे संसाधनों को अन्य संस्थाओं अथवा ओईआर से लेकर उनको रूपांतरित कर अपने अनुकूल बनाएंगी और इन श्रव्य-दृश्य संस्थानों को मुख्यालय, अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर उपलब्ध कराएंगे। राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी), राज्य सरकारों तथा मुक्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध टेलीकान्फ्रैंसिंग सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।
- (ख) यह कार्यक्रम एक समिक्षित रूप में संपादित किया जाएगा। इसके लिए संसाधन-आधारित स्व-अधिगम, प्रत्यक्ष परामर्श, कार्यशालाओं तथा प्रौद्योगिकी-समर्थित अंतःक्रिया और अधिगम के घटकों को विवेकपूर्ण ढंग से भिलाया जा सकता है।
- (ग) स्व-अधिगम सामग्री : यह कार्यक्रम पूर्ण संवृत्तिक विशेषज्ञता के साथ संचालित किया जाएगा। स्व-अधिगम सामग्री, मुद्रित तथा गैर-मुद्रित — अनुदेशात्मक अभिकल्पन तथा स्व-अधिगम के शिक्षण-शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए तथा यह समुचित रूप में डी.ई.सी. (दूरस्थ शिक्षा परिषद) द्वारा अनुमोदित हो। एक समिक्षित अधिगम उपागम (प्रविधि तथा मीडिया का समेकन) का उपयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यसामग्री मोड़युलर (प्रमाणीय) तथा क्रेडिट-आधारित होनी चाहिए। अध्ययन सामग्री अध्येताओं को कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुकूल सत्र के आरंभ में ही दे दी जाएगी, चाहे इकट्ठी एक बार में समय-समय पर।
- (घ) वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम : दो वर्ष की अवधि के इस कार्यक्रम में विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त, वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श और कार्यशालाएं, सेमिनार प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट लेखन इत्यादि आते हैं। इनका संचालन अध्येताओं की सुविधानुसार मुख्यालय या अध्ययन केंद्र पर 6 महीने की कुल अवधि के लिए किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए:
- (इ) परामर्श : शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समस्त अवधि में फैला दिए जाने चाहिए और अध्येताओं की आवश्यकताओं और सुविधानुसार नियमित आधार पर संचालित किए जाने चाहिए। इन परामर्श सत्रों में अध्येताओं की शैक्षणिक और पाद्यक्रम से संबंधित वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्श सत्रों का उपयोग अध्येताओं को विषय-वस्तु संबंधी कठिनाई, क्षेत्र कार्य, शिक्षण अभ्यास, प्रदत्त कार्य शोध निबंध, समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल इत्यादि से संबंधित व्यक्ति कृत निर्देशन के लिए किया जाएगा। परामर्श सत्रों के लिए कम से कम 144 अध्ययन घंटे, जो पूरे दो वर्ष की अवधि तक फैले हों, दिए जाएंगे। परामर्श सत्रों का आयोजन ट्यूटोरियल के रूप में किया जाएगा न कि अध्ययन सत्रों के रूप में, क्योंकि अध्ययन का कार्य तो दी गई अधिकतम सामग्री कर देगी।
- (ख) कार्यशालाएं : कार्यशालाओं में अध्येता उन क्षमताओं या कौशलों को ग्रहण करेगा जिनकी अपेक्षा एक अध्यापक अथवा अध्यापक-शिक्षक से होती है। अतः वे व्यक्तिगत रूप में अथवा समूह में अपने आपको कुछ क्रियाकलाप में परियुक्त रहेंगे। अध्ययन केंद्र का यह दायित्व होगा कि वह पूर्ण कक्षाओं में अथवा अनुरूपित अवस्थितियों में शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था करे। अध्येताओं को आईसीटी के निर्माण और उपयोग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए उन्हें अध्ययन सहायक सामग्री, शोध उपकरण कार्यपत्रक, पाठ्य इकाइयां, प्रदत्त कार्य, मूल्यांकन शीर्षक आदि के निर्माण में समिलित या परियुक्त किया जाएगा। अध्येताओं को जो कुछ उन्होंने सेद्वांतिक विषयों में सीखा है और जिसकी उनसे कक्षा में करने की अपेक्षा है, उसका अभ्यास करने के लिए यथोचित व पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। दो वर्ष की अवधि में कुल दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक कार्यशाला की अवधि 6 दिन की होगी।
- (ज) विद्यालय आधारित क्रियाकलाप : ओडीएल पद्धति के माध्यम से बी.एड. करने वाले अध्येताओं को उन क्रियाकलापों में समिलित किया जाएगा जो एक अध्यापक विद्यालय में संपादित करता है। विद्यालय आधारित क्रियाकलाप का जिक्र बी.एड. के पाद्यचर्चा ढांचे में किया गया है। विद्यालय-आधारित क्रियाकलाप संपादित करने के लिए अध्येता किसी अध्यापक से अन्योन्यक्रिया करेगा, जो उस विद्यालय का एक वरिष्ठ अनुभवी अध्यापक/प्रिंसिपल हो सकता है, जहां वह कार्य कर रहा है। इस प्रकार अध्येता का पर्यवेक्षण/निर्देशन कम से कम 15 अध्ययन घंटों के लिए इस मार्गदर्शन द्वारा किया जाएगा।
- (क) शिक्षण अभ्यास : अध्येता, जो इस रीति में बी.एड. कार्यक्रम में पंजीकृत है, उस विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक/शैक्षणिक सलाहकार के पर्यवेक्षण में जहां वह कार्य करता है, तीन महीने की अवधि

के लिए शिक्षण अभ्यास करेगा। प्रत्येक पाठ, जो वह पढ़ाएगा, उसमें उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा प्रतिपुष्टि भी दी जाएगी। अध्येता को उसके निष्पादन पर पर्यवेक्षक / शिक्षक-अध्यापक द्वारा रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा उसे उसकी कमियों और सबलताओं दोनों से अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार अध्येता पर्यवेक्षकों/अध्यापक पर्यवेक्षकों के साथ पाठ योजना पत्रों की आपूर्ति और उपलब्धता कराएगा। पत्रों पर फीडबैक तैयार कर इस पर चर्चा करेगा। प्रत्येक अध्येता अपने शिक्षण अभ्यास पर अध्यापक से वैयक्तिक पर्यवेक्षक और फीडबैक प्राप्त करेगा।

अध्येता अपने पर्यवेक्षक/अध्यापक-शिक्षक के साथ पाठयोजना निर्माण, पाठ का संचालन तथा प्रतिपुष्टि पर चर्चा करेगा। प्रत्येक अध्येता का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण किया जाएगा और अध्यापक/अध्यापक-शिक्षक द्वारा उस के शिक्षण अभ्यास के पाठों पर प्रतिपुष्टि दी जाएगी।

- (इ) मुख्यालय का स्टाफ पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, प्रतिमान पाठ-योजनाएं तथा मल्टीमीडिया अधिगम संसाधनों का विकास करेगा जिनका उपयोग अध्ययन केंद्रों पर किया जाएगा। विद्यार्थी को प्रदत्त कार्य दिया जाएगा और उन प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन को कम से कम 25% भारिता दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित परीक्षा निकाय द्वारा बाह्य परीक्षा ली जाएगी। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में स्थित अध्ययन केंद्र शिक्षण अभ्यास तथा कार्यानुभव घटकों की परीक्षा लेंगे। इसके लिए आन्तरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करना भी अध्ययन केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होगा।
- (ज) कार्यक्रम आयोजना : ओ.डी.एल के माध्यम से वी.एड कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाएं अपनी वैव साइट वनाएंगे ताकि विद्यार्थी समस्त अधिगम सामग्री तथा संसाधनों का उपयोग कर सकें, अपने समक्षियों से अन्योन्यक्रिया कर सकें तथा संकाय-विद्यार्थी उपयुक्त सामाजिक मीडिया या नेट वर्किंग सेवाओं पर चर्चा को सुकर बना सकें।
- (ट) ओडीएल कार्यक्रमों के चलाने वाले सभी संस्थान विद्यार्थी पंजीयन, कार्यक्रम अधिगम केंद्रों की सूची, शैक्षणिक परमर्शदाताओं, मार्गदर्शकों, क्षेत्रीय परामर्शदाताओं और उन विद्यालयों, जहां अध्यापक प्रशिक्षु अंतर्रंग बनेंगे, संबंधी विवरण अपनी वैबसाइटों पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
- (ठ) विश्वविद्यालय/ओडीएल संस्था अपने सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करेंगे जिसमें प्रवेश, परामर्श, प्रायोगिक कार्य तथा परीक्षाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्रियाकलाप का संचालन कैलेंडर के अनुसार हो रहा है।
- (ड) कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के लिए संस्थान नियमावली तैयार करेंगे (अध्येताओं और मार्गदर्शकों, परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के लिए)
- (छ) सभी ओडीएल संस्थान/विश्वविद्यालय उन अध्ययन केंद्रों के साथ जिन्हें कार्यक्रम संचालन के लिए चुना गया है एक एमओयू निर्धारित करेंगे जिसमें उनके अध्ययन केंद्रों के ओडीएल अध्येताओं को सहायता देने के लिए आधारिक और अन्य सुविधाओं को सांझा करने संबंधी सहयोग और प्रतिवद्धता स्पष्ट होती हो।

### 6.3 मूल्यांकन

संस्था द्वारा द्वि-सोपान मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा: सतत तथा व्यापक मूल्यांकन तथा सत्रांत परीक्षा जिसमें सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को यथेष्ट भारिता दी जाएगी। इसमें कार्यशाला में भागीदारी और निष्पादन सम्मिलित होगा जैसाकि पाठ्यचर्या छाचे में निर्धारित किया गया है। अध्येताओं द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य, रिपोर्टों का मूल्यांकन ट्युटरों/परामर्शदाताओं द्वारा नियत समय में किया जाएगा और अपनी रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों के उन्हें लौटाया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। प्रदत्त कार्यों/परियोजनाओं के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य अध्येताओं को समयोचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना है ताकि उनकी अभिप्रेरणा बनी रहे और समझने की उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सके। प्रदत्त कार्य, कार्यशाला आधारित क्रियाकलाप, विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन सतत रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र-अध्यापक उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य की एक पोटफोलियो तैयार करेगा और इसे वर्ष भर रखेगा। इसका उपयोग आन्तरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकेगा।

सत्रांत परीक्षा का अभिकल्पन तथा संचालन परीक्षा संस्था द्वारा किया जाएगा आंतरिक और बाह्य मानीकरण के लिए भरिता क्रमशः 30 : 70 के अनुपात में होगा।

### 6.4 मानकीकरण प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण

ओडीएल संस्था एक सुव्यवसिथ भानीकरन तन्त्र को लागू करेगी। मानकीकरण की विभिन्न कार्यनीतियां जैसे समय समय पर संकाय द्वारा क्षेत्र-निरोक्षण, अध्येताओं तथा अध्ययन-केन्द्र समन्वयक दोनों से नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अध्येताओं के साथ आईसीटी के माध्यम से अन्योन्यक्रिया करना इत्यादि, तथा संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट रिकार्ड रखना इस प्रक्रिया के कुछ घटक होंगे। अध्येता संतुष्टि सर्वेक्षण नियमित आधार पर संचालित किए जाएंगे ताकि मुख्यालय में परामर्शदाताओं तथा संकाय को प्रतिपुष्टि दी जा सकें पाठ्यवस्तु पर प्राप्त प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को काफी समय तक जारी रखने तथा उसमें छोटे मोटे संशोधन करने के कार्य को सुसाध्य बनाएगा। समय समय पर कार्यक्रम संरचना तथा इसके कार्यान्वयन का एक व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा।

## 7 स्टाफ

## 7.2 मुख्यालय

i संस्था या विश्वविद्यालय जो ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाएगा उस की अपनी एकान्तिक 7 सदस्यों की अभ्यन्तर संकाय हो। जिन की विशेषज्ञता अलग अलग संगत अनुशासनों में हो जैसे—शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तथा भाषाएं। दूसरे—शिक्षा में प्राप्त अर्हता वांछनीय होगी।

संकाय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा प्रोफैसर.....एक.....रीडर/ सह प्रोफैसर .....

.....दो लेक्चरर.....चार

नोट : [संकाय के विभिन्न पद संज्ञा राज्य सरकार/ संस्था नीति अनुसार होंगे]

ii संकाय का दायित्व निम्नलिखित होगा पाठ्यक्रम रचना, अधिगम संसाधनों का विकास, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन, अध्ययन केंद्र के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ का दिशा अनुकूलन केंद्रों का प्रबोधन व पर्यवेक्षण, पाठ्यचर्याओं का रख-रखाव व संशोधन, कार्यक्रम मूल्यांकन तथा अन्य कार्यकलाप जो विश्वविद्यालय/ संस्था निर्धारित करती है।

iii प्रत्येक अतिरिक्त 500 विद्यार्थियों की इकाई या उसका अंश बढ़ने पर संकाय की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि हो जाएगी।

iv इस ओडीएल कार्यक्रम के लिए संकाय के एक सदस्य को "कार्यक्रम समन्वयक" मनोनीत किया जाएगा। समन्वयक का कार्य होगा संकाय के सदस्यों मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र के मध्य समन्वयन करना।

v अध्ययन केंद्रों पर विभिन्न क्रियाकलाप के परियुक्त अध्यापक-शिक्षक/ पर्यवेक्षक बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार अर्हताप्राप्त होंगे।

## 7.2 अध्ययनकेंद्र

समन्वयक.....एक

सहायक—समन्वयक.....एक

अंश—कालिक शैक्षणिक परामर्शदाता.....आवश्यकतानुसार

प्रशासनिक स्टाफ.....आवश्यकतानुसार

नोट : अध्ययन केंद्र पर लगाए जाने वाला अंशकालिक स्टाफ उसी अध्ययन केंद्र के संकाय में से परियुक्त किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़े तो आस-पड़ौस की संस्थाओं से वर्तमान और पूर्व अध्यापक शिक्षकों परियुक्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम एक क्षेत्रीय शैक्षणिक परामर्शदाता परियुक्त होना चाहिए।

## 7.3 क्षेत्रीय केंद्र

यदि आवश्यकता समझी जाए क्षेत्रीय केंद्र पर भी एक ओडीएल संस्था स्थापित की जा सकती है जो इसके अधिकारक्षेत्र में आने वाले अध्ययन केंद्रों के कार्य का समन्वय कर सके। क्षेत्रीय केंद्र या केंद्रों पर निम्नलिखित स्टाफ होगा

1. समन्वयक/ क्षेत्रीय निदेशक.....एक

2. सहायक समन्वयक/ सहायक क्षेत्रीय निदेशक.....एक

3. प्रशासनिक स्टाफ.....आवश्यकतानुसार

## 7.4 अर्हताएं

## (क) अध्यापन स्टाफ

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं वही होंगी जैसी कि बी.एड. (रियुलर) कार्यक्रम के लिए परियुक्त स्टाफ के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त ओडीएल प्रणाली में ओडीएल प्रणाली में प्राप्त अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

## (ख) मुख्यालय के लिए गैर-अध्यापन/ व्यावसायिक/ सहायक/ प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक और अन्य सहायक स्टाफ निम्नलिखित प्रतिमानों के अनुसार दिए जाने चाहिए

1. कार्यालय प्रबंधक/ अधीक्षक .....एक

2. साप्टवेयर विशेषज्ञ/ व्यावसायिक .....एक

3.	आकलन और मूल्यांकन प्रभारी.....	एक
4.	डेटाबेस अनुरक्षण के लिए कम्प्यूटर आप्रेटर.....	एक
5.	कार्यालय सहायक.....	एक
6.	हैल्पर (अध्ययन सामग्री डिस्पैच करने के लिए).....	एक

**7.5 स्टाफ की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें**

अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ के सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतनमान, अधिवार्षिकी की आयु की अधिकतम आयु तथा अन्य भत्ते सम्मिलित हैं, वे सभी राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान कराने वाली संस्था की नीति के अनुसार होंगे।

**8 सुविधाएं****8.1 मुख्यालय में**

सेमिनार कक्षों की पर्याप्त संख्या तथा प्रत्येक संकाय सदस्य के एक एक कैबिन, फोटो कॉपियारों के लिए एक ऑफिस कक्ष, विद्यार्थियों संबंधी डाटा बेस, अनुरक्षण के लिए डेटाएन्ट्री ऑप्रेटरों के लिए एक बड़ा कमरा, एक अन्य कक्ष जिसमें अधिगम सामग्री का निर्माण/प्रक्रमण किया जा सके, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक काफी बड़ा स्टोर, पाठों (इकाइयों) को रिकॉर्ड करने तथा सी.डी. निर्माण के लिए एक श्रव्य-दृश्य स्टूडियो, तथा बैठकों/ टैलिका फैसिंग के संचालन के लिए का विस्तृत कॉन्फँस कक्ष

टैलिकॉन्फँसिंग/ऑडियो कॉफँसिंग तथा कंप्यूटर कॉन्फँसिंग सुविधाएं, जिस में ऑन-लाइन अधिगम तथा मुक्त-प्रौद्योगिकी/मुक्त स्रोत साप्टवेयर ब्रौड बैंड इन्टरनेट तथा बड़े पैमाने पर एसएमएस सूचना प्रचार-प्रसार के साथ सुविधाएं वांछनीय हैं। तथापि, जो संस्था ओडीएल/ मोड में अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम चला रही है उसे केंद्रीकृत एसएमएस सुविधा ऑन लाइन कॉन्फँसिंग प्रणाली तथा श्रव्य-दृश्य/रेडियो, टीवी, सीडी-रॉम (CD-Rom) तथा अन्य प्रौद्योगिकी समर्थि अधिगम की विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ओडीएल संस्था में एक प्रतिरूप अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाए जिसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी सुविधाएं हों।

**8.2 अध्ययन केंद्र में****इस केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं हों**

पाठ्यचर्चा प्रयोगशाला तथा अधिगम संसाधन केंद्र, शारीरिक शिक्षा कक्ष, कला और शिल्प कक्ष, कार्यशाला या प्रायोगिक, के लिए आई सी टी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, प्रशिक्षणों को प्रविधि संबंधी विषयों में व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, एक शिक्षण-अभ्यास प्रारंभिक विद्यालय की सुलभता, संपर्क कक्षाएं संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कक्षा कक्षा इसके अतिरिक्त, अन्य अपेक्षित सुविधाएं जैसे, टेलिफोन, फैक्स, फोटो कॉपियर मशीन, इन्टरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर, श्रव्य-दृश्य प्लेयर, इन्टरएक्टिव मल्टी मीडिया सीडी, एडयूसैट रिसीव ऑनली सैटेलाईट, या इन्टरएक्टिव टर्मिनल, एलसीडी प्रोजेक्टरों की आवश्यकता है।

**8.3 पुस्तकालय**

(क) **मुख्यालय पुस्तकालय:** एक पूर्णरूपेण सुसज्जित पुस्तकालय होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकें तथा विद्यालय स्तर के और अध्यापक शिक्षा के संदर्भ ग्रंथ होंगे, अधिगम संसाधन पुस्तकालय, मानोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, ऑनलाइन रिसोर्सेस, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा तथा दूर शिक्षा के लिए रेफरीडजर्नल इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में स्व-अधिगम सामग्री सुलभ होनी चाहिए।

(ख) **अध्ययन केंद्र पुस्तकालय :** संपर्क सत्रों की अवधि में विद्यार्थियों द्वारा उन संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का उपयोग किया जाएगा जहां अध्ययन केंद्र स्थित है।

**9 कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की पूर्वपिक्षाएं**

बी.एड (ओडीएल) कार्यक्रम की मान्यता प्राप्ति हेतु एनसीटीई को आवेदन करने से पहले, विश्वविद्यालय/ संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

(क) एक परियोजना प्रलेख बनाना हेगा जिसमें कार्यक्रम की व्याप्ति/विस्तार संबंधी विवरण, शुल्क ढांचा, विद्यार्थी पंजीयन, संकाय, अधिगम संसाधन, आवश्यक सुविधाओं युक्त अध्ययन केंद्र तथा ट्यूटर/परामर्शदाता, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यन्वयन पर आने वाला अनुमानित खर्च, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यान्वयन संबंधी भुगतान के प्रतिमान, अध्ययन केंद्र और विशेषज्ञों को अतिरिक्त संकाय, अध्ययन केंद्रों को दिए जाने वाले संसाधन, तथा कार्यक्रम का प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण संबंधी भुगतान के प्रतिमान

कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए संगत विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की स्वीकृति

(ख) पाठ्यचर्चा का निर्माण (पाठ्यक्रम अनुसार तथा इकाई अनुसार) जिसमें मूल्यांकन स्कीम तथा सहायक सेवाएं स्पष्ट की गई हों और यह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित हो

- (घ) स्व-अधिगम सामग्री का निर्माण जो दूर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो
- (ङ) एक निर्धारित प्रारूप में अध्ययन केंद्रों से इस आशय का आश्वासन की अध्ययन केंद्र वी.एड प्रतिमानों का कठोरता से पालन करेगा
- (च) स्टाफ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ, जैसे विज्ञाप्ति, स्कीनिंग, साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र।

**परिशिष्ट-11**

**कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ)** में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) डिप्लोमा कार्यक्रम के मानक और मानदंड

**1. प्रस्तावना**

कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा एक व्यावसायिक सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा viii तक दृश्य कलाएँ पढ़ाने के लिए अध्यापक तैयार करना है। दृश्य कला कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्षों की करने की अनुमति होगी।

**2.2 कार्य दिवस एवं अवधि**

- (क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवस होंगे, जिनमें से कम से कम 16 सप्ताह प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल प्रशिक्षुता (इन्टर्नशिप) के लिए होंगे।
- (ख) संस्था सप्ताह में (पांच अंधवा छः दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी-अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- (ग) यह जरूरी होगा कि विद्यार्थी-अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रम कार्यों और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए 80 प्रतिशत और स्कूल प्रशिक्षुता के लिए 90 प्रतिशत हो।

**3. भर्ती, पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया और फीस****3.1 भर्ती**

प्रत्येक वर्ष पचास विद्यार्थियों (पेंटिंग/ड्राइंग, आदि) का एक बुनियादी यूनिट होगा, जिसमें पच्चीस-पच्चीस विद्यार्थियों के दो सेक्षण होंगे।

**3.2 पात्रता**

जिन अभ्यार्थियों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय(यों) के रूप में दृश्य कलाओं (पेंटिंग/ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन/हेरिटेज क्राफ्ट्स/एप्लाइड कलाएँ/गूर्तिकला, आदि) के साथ कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उच्च आरक्षित वर्गोंके संबंध में सीटों का आरक्षण और अहंकारी अंकों में ढील संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाएगी।

**3.3 दाखिले की प्रक्रिया**

दाखिले अहंकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा योग्यता के आधार अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार चयन या किए जाएंगे।

**3.4 फीस**

संस्था समय-समय पर यथासंशोधित एन.सी.टी.ई (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्था द्वारा प्रभार्य दयूषन फीस तथा अन्य फीसों के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार संबंद्धक निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथाविहित फीस ही ली जाएगी और विद्यार्थियों से कोई दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगी।

**4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन****4.1 पाठ्यचर्या**

दो वर्षीय पाठ्यचर्या के निम्नलिखित संघटक हैं:

क. सिद्धांत

ख. प्रयोगात्मक कार्य

ग. स्कूल प्रशिक्षुता (इन्टर्नशिप)

घ. कार्यशालाएँ, दौरे, परियोजनाएँ, प्रदर्शन और प्रदर्शन